Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

RBE No.113/2011

No. E(MPP)2011/3/ 5 Dated: 02.08.2011

The General Managers,
All Indian Railways including Production Units

Sub: - Report of training Centres on Indian Railways
- Calculation of Capacity Utilization
Ref: - Board's letter No.E(MPP)96/3/17/Vol.II dated 27.5.99

Zonal Railways are aware that reports of the Training Centres, from time to time on revision, are submitted by the Railways to Board. While reviewing the figures of the Capacity Utilization, it is observed that the calculation for the same does not reflect the correct position as detailed in Board's letter referred above. In view of inconsistency/flaw in furnishing the correct information, the methodology to be adopted for calculating the training capacity is reiterated as under: -

(A) PLANNED CAPACITY

(i) In terms of trainee seats

S.No	Item	Number
1	Hostel Capacity of the training centre (No. of beds)	
2	Estimated average number of trainees from the HQs not requiring hostel facility in each course	
3	Total of (1) & (2) above	
4	Class Room capacity of the training Centre No. of Class rooms x average seating capacity in a class room	
5	(Lower of 3 & 4)	
6	(Lower of 3 & 4) x No. of working days in a year**$**	

NOTE:$ To be arrived at by deducting the number of closed days from the total number of days in a year

(ii) In terms of trainee days

S.No	Name of the Courses run during the year	Course Commenced on	Course ended on	No. of Actual Training days spent by the trainees during the year#	No. of Trainees	Total trainee days (5x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
Total (at the end of the year)						@

NOTE: #If a training course overlaps from/to the previous/next year, the actual trainee days spent by the trainees during the current year only should be taken into account. Also closed days falling during the course should not be counted as Trainee days.
@ Total Trainee Days

....2/-

(B) CAPACITY UTILIZED

(i) In terms of trainee seats

Maximum No of trainees attend at a given point of time during the year x 100 Total trainee seats{(as arrived at A(i)(5)}

(ii) In terms of trainee days

Total trainee Days (as arrived at A(ii) x 100 Total trainee seats{(as arrived at A(i)(6)}

Example

To clarify the above issue the followinga hypothetical illustration is shown: -

(i) In terms of trainee seats

S.No	Item	Number
1	Hostel Capacity of the training centre (No. of beds)	50
2	Estimated average number of trainees from the HQs not requiring hostel facility in each course	10
3	Total of (1) & (2) above	60
4	Class Room capacity of the training Centre No. of Class rooms x average seating capacity in a class room	5x20= 100
5	(Lower of 3 & 4)	60
6	(Lower of 3 & 4) x No. of working days in a year$	60 x290 =17400

NOTE:$ To be arrived at by deducting the number of closed days from the total number of days in a year

(ii) In terms of trainee days

S.No	Name of the Courses run during the year	Course Commenced on	Course ended on	No. of Actual Training days spent by the trainees during the year#	No. of Trainees	Total trainee days (5x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ABC	03/01/2011	31/03/2011	74	20	1480
2	DEF	02/05/2011	20/05/2011	18	30	540
	GHI					
	and so on					
Total (at the end of the year)						15300

#Total days = 90-16(holidays/Sundays)=74

Total days = 21-3(holidays/Sundays)=18

(iii) In terms of trainee seats

30 x 100 = 50% 60

(iv) In terms of trainee days

15300 x 100 =87.93% 17400

The Railways are advised to have the above methodology circulated to all the training centres under their jurisdiction and ensure that the details required in various Reports of the Training Centres being furnished to the Board for the year 2010-1,1 are revised bearing in mind the above directions.

(Anil Wason)
Dy. Director(MPP)
Raiwlay Board

No.E(MPP)2011/3/5

New Delhi, dated 2.08.2011

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
6. The General Secretary, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
7. General Secretary, All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railways Employees Association, 171/B-3 Basant Lane Railway Colony New Delhi (15 copies)

For Secretary/Railway Board.

Copy to:

PS & ED(PG) to MR, MSR(A) & MSR(M)

PPS to CRB, FC, ML, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF),

PPS to AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml), AM(Elect), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(Staff), AM(Rly Stores), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), Adv(Safety), LA, OSD(MIS).
ED(Plg), ED(Accts), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), ED(Project/DMRC, EDRE, ED(safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat & Econ), EDRS(C), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T), ED(W).

Chief Commissioner of Railway Safety Lucknow.

E(Trg), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)I, F(E)II, F(E)III , E(SCT)I, E(SCT)II Branches of Railway Board

To all the training Centers (as per Standard mailing list attached)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई/सं. 113 /2011

सं. ई (एमपीपी)/2011/3/5

नई दिल्ली, दिनांक: 2 .08.2011

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: भारतीय रेलों पर प्रशिक्षण केन्द्रों की रिपोर्ट - क्षमता की उपयोगिता की गणना।
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 27.05.99 का पत्र सं. ई(एमपीपी)96/3/17/वॉल्यूम-II

क्षेत्रीय रेलें जानती हैं कि प्रशिक्षण केन्द्रों की रिपोर्टों में समय-समय पर संशोधन होने पर ये रिपोर्टें रेलों द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जाती हैं। क्षमता की उपयोगिता के आंकड़ों की समीक्षा करते समय यह पाया गया है कि इसके लिए की गई गणना में बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। सही सूचना भिजवाने में असंगतता अथवा गलती होती है, यह देखते हुए प्रशिक्षण क्षमता की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली नीचे दोहराई जाती है:-

(क) योजनाबद्ध क्षमता

(i) प्रशिक्षु सीटों के संबंध में

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	प्रशिक्षण केन्द्रों की हॉस्टल क्षमता (बिस्तरों की संख्या)	
2.	प्रत्येक कोर्स में मुख्यालयों से आने वाले ऐसे प्रशिक्षुओं की अनुमानित औसत संख्या जिन्हें हॉस्टल सुविधा की आवश्यकता न हो।	
3.	उपर्युक्त (1) और (2) का जोड़	
4.	प्रशिक्षण केन्द्र के क्लास रूम की क्षमता क्लास रूम की संख्या x क्लास रूम में बैठने की औसत क्षमता	
5.	(3 और 4 का न्यूनतम)	
6.	(3 और 4 का न्यूनतम) x वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या $	

नोट: $ वर्ष में कुल दिनों की संख्या से छुट्टी के दिनों की संख्या को घटा कर निकाला जाए।

ESST-E (MPP)

(ii) प्रशिक्षु दिनों के संबंध में

क्र. सं.	वर्ष के दौरान चलने वाले कोर्सों का नाम	कोर्स आरंभ होने की तारीख	कोर्स पूरा होने की तारीख	वर्ष के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा बिताए गए वास्तविक प्रशिक्षण दिनों की संख्या #	प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल प्रशिक्षु दिन (5x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
कुल (वर्ष की समाप्ति पर)						@

नोटः # यदि प्रशिक्षण कोर्स पिछले वर्ष से/अगले वर्ष तक चलता है, तो केवल चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा बिताए गए वास्तविक प्रशिक्षु दिनों को ही लेखे में लिया जाएगा। कोर्स के दौरान पड़ने वाले छुट्टी के दिनों को प्रशिक्षु दिनों के रूप में न गिना जाए।

@ कुल प्रशिक्षु दिन

(ख) उपयोग की गई क्षमता

(i) प्रशिक्षु सीटों के संबंध में

वर्ष के दौरान एक निश्चित समय पर उपस्थित प्रशिक्षुओं की अधिकतम संख्या x 100
कुल प्रशिक्षु सीट {(जैसा कि क (i)(5) पर दिया गया है)}

(ii) प्रशिक्षु दिनों के संबंध में

कुल प्रशिक्षु दिन (जैसा कि क (ii) पर दिया गया है) x 100
कुल प्रशिक्षु सीटें{(जैसा कि क (i)(6) पर दिया गया है)}

उदाहरण

उपर्युक्त मामले को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कल्पित उदाहरण दिया गया है:-

(i) प्रशिक्षु सीटों के संबंध में

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	प्रशिक्षण केन्द्रों की हॉस्टल क्षमता (बिस्तरों की संख्या)	50

2.	प्रत्येक कोर्स में मुख्यालयों से आने वाले ऐसे प्रशिक्षुओं की अनुमानित औसत संख्या जिन्हें हॉस्टल सुविधा की आवश्यकता न हो।	10
3.	उपर्युक्त (1) और (2) का जोड़	60
4.	प्रशिक्षण केन्द्र के क्लास रूम की क्षमता क्लास रूम की संख्या x क्लास रूम में बैठने की औसत क्षमता	5x20= 100
5.	(3 और 4 का न्यूनतम)	60
6.	(3 और 4 का न्यूनतम) x वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या $	60x290 =17400

नोटः $ वर्ष में कुल दिनों की संख्या से छुट्टी के दिनों की संख्या को घटा कर निकाला जाए।

(ii) प्रशिक्षु दिनों के संबंध में

क्र. सं.	वर्ष के दौरान चलने वाले कोर्सों का नाम	कोर्स आरंभ होने की तारीख	कोर्स पूरा होने की तारीख	वर्ष के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा बिताए गए वास्तविक प्रशिक्षण दिनों की संख्या #	प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल प्रशिक्षु दिन (5x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	एबीसी	03.01.2011	31.03.2011	74	20	1480
2	डीईएफ	02.05.2011	20.05.2011	18	30	540
	जीएचआई					
	और इसी प्रकार आगे					
कुल (वर्ष की समाप्ति पर)						15300

\# कुल दिन = 90-16 (अवकाश/रविवार)=74

कुल दिन = 21-3 (अवकाश/रविवार)=18

(iii) प्रशिक्षु सीटों के संबंध में

$$\frac{30 \times 100}{60} = 50\%$$

ESST-E (MPP)

(iv) <u>प्रशिक्षु दिनों के संबंध में</u>

$$\frac{15300}{17400} \times 100 = 87.93\%$$

सभी रेलों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को उपर्युक्त कार्यप्रणाली परिपत्रित करें और यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2010-11 के लिए बोर्ड को भेजी जा रही प्रशिक्षण केन्द्रों की विभिन्न रिपोर्टों में अपेक्षित ब्यौरे उपर्युक्त निदेशों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए जाते हैं।

(अनिल वासन)
उप निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (एमपीपी)/2011/3/5 नई दिल्ली, दिनांक: 2.08.2011

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव/एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित।
2. महासचिव/एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित।
3. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित।
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित।
5. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद् के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली को 90 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इंप्लाईज़ एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन रेलवे कॉलोनी, नई दिल्ली (15 अतिरिक्त प्रतियां)।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड